FORM NO –III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, मुकाम नागौर

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
भींवराज पुत्र दयाराम जाति जागरी, निवासी नकाश गेट नागौर जरिये आम मुख्त्यारनामा देवकिशन पुत्र नथमल उर्फ तिलोकचन्द 186 बाड़ी कुआ नागौर बनाम	राजस्थान सरकार व अन्य

किस्म मुकदमा राजस्व रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 49 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
10.12.18	प्रार्थी ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर नागौर के के आदेश क्रमांक एफ12 ( )राजस्व/3313 दिनांक 28.08.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। पत्रावली वास्ते बहस एडमिशन (सुनवाई हेतु ग्रहणार्थ) दिनांक 18.12.2018 पेश हो। जिला कलक्टर,नागौर	
18/12/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र एडमिशन पर बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि मौजा ग्राम नागौर के खसरा नम्बर 967/687 रकबा 11 बीघा जिला कलक्टर महोदय नागौर द्वारा आदेश कमांक–एफ–(12)(3) रेव/82/ 926–30 दिनांक 26.2.1982 को मैसर्स भारत मेटल इण्ड्रस्ट्रीज को 99 वर्षीय लीज पर औधोगिक प्रयोजनार्थ आवटन की गई। प्रकरण में ऋण की अदायगी नहीं करने से वित्त निगम ने उक्त लीज होल्डर भूमि व भवन आदि का निलामी के जरिये प्रार्थी को बिना सुनवाई दिये ही मैसर्स श्री वेंकेटेश इण्डस्ट्रीज प्रो0 रामावतार सोमानी एवं घनश्याम कलन्त्री निवासी नागौर के पक्ष में दिनांक 13.08.86 को करवा दी गई। तत्पश्चात शाखा प्रबन्धक राजस्थान वित्त निगम, नागौर ने मूल लीज डीड जिला कलक्टर नागौर को भिजवाते हुऐ पत्र दिनांक 12.07.2007, 12.09.2007 एवं 22.12.2008 से उक्त लीज डीड का हस्तान्तरण गैरार्स श्री वेकेटेश इण्डस्ट्रीज प्रो0 रामवतार सोमानी एवं घनश्याम कलन्त्री निवासी नागौर के नाम करने का अनुरोध किया गया। महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र नागौर ने अपने पत्र दिनांक 31.12.12 से उक्त लीज का हस्तान्तरण मैसर्स श्री वेकेटेश इण्डस्ट्रीज नागौर के पक्ष में किये जाने अनापत्ति दी। लेकिन महाप्रबन्धक ने निलामी संबंधी मूल खातेदार मैसर्स भारत मेटल इण्ड्रस्ट्रीज जरिये भींवराज पुत्र दयाराम निवासी नागौर जो कि उस वक्त हितबद्ध व्यक्ति खातेदार था, उसको निलामी संबंधी कार्यवाही का नोटिस नहीं दिया एवं एकतरफा कार्यवाही करते हुऐ मैसर्स वेंकेटेश इण्डस्ट्रीज नागौर के पक्ष में डीड अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया, जो न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरित एवं आरम्भ से ही शून्य प्रभावी है, जो रिव्यू के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। जिला कलक्टर महोदय नागौर द्वारा मैसर्स भारत मेटल इण्डस्ट्रीज नागौर भींवराज पुत्र दयाराम की 99 वर्ष की औद्योगिक लीज को मैसर्स वेंकटेज इण्डस्ट्रीज नागौर के पक्ष में लीज हस्तान्तरण के लिए कार्योत्तर स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ12 ( )राजस्व/3313 दिनांक 28.08.2014 जारी किया गया, जिसकी सूचना मैसर्स भारत मेटल इण्डस्ट्रीज नागौर भींवराज पुत्र दयाराम को नहीं दी गई। इससे यह आदेश सन्देहास्पद एवं परिलोभन आदेश की आंशका साबित होती है। प्रकरण में मूल खातेदार भींवराज पुत्र दयाराम को न तो आवश्यक पक्षकार बनाया गया न ही जरिये नोटिस तलब किया गया सारी कार्यवाही एकतरफा होने का कथन करते हुऐ वकील प्रार्थी ने प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण सुनवाई हेतु ग्रहण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के विषय में अंकितानुसार प्रार्थी द्वारा	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
निस्तर 16.12.18	जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश दिनांक 28.08.2014 के विरूद्ध यह रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार निम्नानुसार स्थिति पाई गई है कि ग्राम नागौर के खसरा नम्बर 323/787 रकबा एक बीघा भूमि की औद्योगिक (मेटल इण्डस्ट्रीज की स्थापना) प्रयोजनार्थ समर्पित भूमि का आंवटन जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश दिनांक 26.02.1982 के द्वारा मैर्सस भारत मेटल इण्डस्ट्रीज नागौर जरिये श्री भींवराज पुत्र रामदयाल गहलोत निवासी नागौर के पक्ष में लीज डीड दिनांक 02.03.1982 (लीज डीड पंजीबद्व दिनांक 21.04.1982) से 99 वर्षीय लीज पर राजस्थान भू–राजस्व औद्योगिक (औद्योगिक क्षेत्र आंवटन) नियम 1959 के तहत आंवटित की गई थी। मैसर्स भारत मेटल इण्डस्ट्रीज नागौर द्वारा उक्त लीज डीड पर राजस्थान वित्त निगम से लिए गए ऋण की अदायगी नहीं करने पर वित्त निगम ने उक्त लीज होल्डर की भूमि व भवन आदि की निलामी के जरिये सेलडीड का निष्पादन 13.08.1986 के द्वारा मैर्सस श्री वेंकेटेश इण्डस्ट्रीज प्रोपराईटर श्री रामावतार सोमानी व श्री घनश्याम कालन्तरी निवासी नागौर के पक्ष में कर दिए जाने से राजस्थान वित्त निगम नागौर ने उक्त लीज का हस्तान्तरण मैर्सस वेंकेटेश इण्डस्ट्रीज के नाम हस्तान्तरण करने का पत्र दिनांक 12.07.2007 12.09.2007 व 22.12.2008 से जिला कलक्टर नागौर से अनुरोध किया गया तथा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र नागौर ने अपने पत्र दिनांक 31.12.2012 से उक्त लीज भूमि का हस्तान्तरण मैर्सस वेंकेटेश इण्डस्ट्रीज नागौर के पक्ष मे किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया गया। तहसीलदार नागौर ने उक्त संबंध में अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.01.2013 जिला कलक्टर नागौर को भिजवाई जाने पर जिला कलक्टर नागौर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व औद्योगिक (औद्योगिक क्षेत्र आंवटन) नियम 1959 के नियम 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स भारत मेटल इण्डस्ट्रीज नागौर भींवराज पुत्र दयाराम की 99 वर्ष की औद्योगिक लीज को मैर्सस वेंकटेज इण्डस्ट्रीज नागौर के पक्ष में लीज हस्तान्तरण के लिए कार्योत्तर स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ12 ( ) राजस्व/3313 दिनांक 28.08.2014 जारी किया गया है। जिला कलक्टर नागौर के कार्यालय स्तर पर लीज डीड हस्तान्तरण की कार्यवाही के समय एवं हस्तान्तरण आदेश जारी करने की दिनांक 28.08.2014 को प्रार्थी का उक्त लीज डीड में किसी प्रकार का हित नहीं रहा था, क्योंकि मैसर्स भारत मेटल इण्डस्ट्रीज नागौर द्वारा उक्त लीज डीड पर राजस्थान वित्त निगम से लिए गए ऋण की अदायगी नहीं करने पर वित्त निगम ने उक्त लीज होल्डर की भूमि व भवन आदि की निलामी के जरिये सेलडीड का निष्पादन 13.08.1986 के द्वारा मैर्सस श्री वेंकेटेश इण्डस्ट्रीज प्रोपराईटर श्री रामावतार सोमानी व श्री घनश्याम कालन्तरी निवासी नागौर के पक्ष की जा चुकी थी। इसलिए जिला कलक्टर नागौर के कार्यालय स्तर पर प्रार्थी को उक्त लीज डीड हस्तान्तरण की कार्यवाही में सुने जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उक्त आदेश दिनांक 28.08.2014 के सन्दर्भ में प्रार्थी का उक्त लीज डीड में किस प्रकार हित प्रभावी हो रहा था, के संबंध में भी प्रार्थी स्थिति स्पष्ट करने में असफल रहा है। जहां तक राजस्थान वित्त निगम नागौर एवं जिला उद्योग केन्द्र नागौर के स्तर पर की गई किसी भी कार्यवाही में इस न्यायालय को प्रार्थी के इस रिव्यू प्रार्थना पत्र के तहत हस्तक्षेप करने का कोई कानूनी हक एवं अधिकारिता नहीं है। वकील प्रार्थी ने भी राजस्थान वित्त निगम नागौर एवं जिला उद्योग केन्द्र नागौर के स्तर पर की गई कार्यवाही में इस न्यायालय को प्रार्थी के इस रिव्यू प्रार्थना पत्र के तहत हस्तक्षेप करने के अधिकार के संबंध में कोई नियम/अधिनियम/कानून नहीं बताया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कोई उल्लेख नहीं किया है, यह रिव्यू प्रार्थना पत्र किस नियम/अधिनियम आदि के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः उपर्युक्त समग्र विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने से सुनवाई हेतु ग्रहण किये जाने की स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (कुमार पाल गौतम) जिला कलक्टर नागौर	

Scanned by CamScanner